कार्यालय, नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश, भोपाल

होशंगाबाद रोड़, गायत्री मंदिर के पास, भोपाल पिन - 462011
Tel. 0755-2551017 Fax- 0755-2768638 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्रमांक 1366 /नातौ/मी.ऑ.क./2018 भोपाल दिनांक : 04-04-18 /03/2018

प्रति,

आवश्यक

समस्त निरीक्षक,
नाप तौल (विधिक मापविज्ञान)
मध्यप्रदेश

विषय :- नाप-तौल उपकरण के सत्यापन मुद्रांकन बाबत्।

---00---

उपरोक्त विषयायंतर्गत लेख है कि नाप-तौल उपकरणों का मूल मुद्रांकन व पुनः सत्यापन को मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2010 में सम्मिलित की गई है, जिसके अनुसार नाप-तौल उपकरण के उपयोक्ता को निश्चित समयावधि में मूल मुद्रांकन व पुनः सत्यापन का कार्य (सेवा) नियत समय सीमा में प्रदाय किया जाना है। इन सेवाओं को प्रदाय किये जाने बाबत ऑनलाईन सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है।

पूर्व से सत्यापित उपकरणों की वैधता सत्यापन प्रमाण पत्र की दिनांक से आगामी 12/ 24/ 60 माह तक वैध होती है, जिसका वैधता दिनांक से पूर्व पुनः सत्यापन कराना आवश्यक होता है। वैधता दिनांक के पश्चात पुनः सत्यापन कराये जाने पर व्यापारी पर अतिरिक्त सत्यापन शुल्क भारित किया जाता है ।

उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए नाप-तौल उपकरण के पुनः सत्यापन के आवेदन सत्यापन की विधि मान्यता समाप्त होने के 30 (तीस) दिन पहले प्राप्त करने/ प्रस्तुत करना आवश्यक है, ताकि संबंधित उपयोक्ता से अतिरिक्त सत्यापन शुल्क लिये जाने की स्थिति से बचा जा सके । कृपया तदानुसार सभी विक्रेता/सुधारक अनुज्ञप्तिधारियों व नाप-तौल उपकरणों के उपयोगकर्ताओं को सूचित करें।

उपरोक्त निर्देशो को Notice Board पर भी प्रदर्शित करावें।

S Jain

(एस.के. जैन)
नियंत्रक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
म0प्र0 भोपाल

पृ0क्र0 /नातौ/मी.ऑ.क./2018 भोपाल दिनांक : /03/2018

प्रतिलिपि :-

समस्त उप/सहायक नियंत्रक नाप-तौल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नियंत्रक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
म0प्र0 भोपाल